



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28032026-271359
CG-DL-W-28032026-271359

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2026, शनिवार/ चैत्र 1—चैत्र 7, 1948
No. 5] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2026, SATURDAY/ CHAITRA 1— CHAITRA 7, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केंद्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

आ. अ. 4.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री हरीत शुक्ला, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री संदीप जनार्दनपंत सागले, आई. ए. एस. (जी.यू.जे.: 2007) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री संदीप जनार्दनपंत सागले, गुजरात सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री संदीप जनार्दनपंत सागले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात के रूप में कार्य करते हुए गुजरात सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/GJ/2025-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

**SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2026

O. N. 4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Gujarat hereby designates Shri Sandip Janardanpant Sagale, IAS (GUJ:2007) as the Chief Electoral Officer for the State of Gujarat with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Hareet Shukla, IAS.

2. Shri Sandip Janardanpant Sagale shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Gujarat, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Sandip Janardanpant Sagale while functioning as the Chief Electoral Officer, Gujarat shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Gujarat except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/GJ/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.